

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

प्रसीन अधिकारी श्री सी. एल. शर्मा, और ए.एस.

नदमा संख्या - 209/18

श्री गोकुलदास सो. श्री रामपाल बाहादुर गिवासी-भोजा तहसील-माण्डल  
-प्रार्थी

बनाम

श्री सो. गोपी-कार गिवासी-भोजा तहसील-माण्डल [कौज]  
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 सो.गु.रा.0अधि.0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 11-9-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 सो.गु.रा.0अधि.0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजा पटवार हल्का भोजा तहसील मांडल/करंडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 1085, 1092, 2117, 2614/1085 कुल किता. 04 रकब 03 बीघा 02 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7-8-18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 खण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजा पटवार हल्का भोजा तहसील मांडल/करंडा में स्थित आराजी नम्बर 1085, 1092, 2117, 2614/1085 कुल किता. 04 रकब 03 बीघा 02 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भोजा को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्ताकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करंडा को भोजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल (भीलवाड़ा)